त्रिपुरारी शरण और अन्य

बनाम

रंजीत कुमार यादव और अन्य

11 जनवरी, 2018

[अरुण मिश्रा और मोहन एम 0 शांतनागौदर, न्यायमूर्तिगण]

शिक्षा/शैक्षणिक संस्थान–चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश योग्यता के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया आरक्षित उम्मीदवार (एम. आर. सी.) और महाविद्यालय में सीट का आवंटन आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार इन आधार पर प्रवेश के हकदार हैं –उसकी योग्यता और उसके पास उन कॉलेजों में प्रवेश लेने का विकल्प होगा जहां आरक्षित श्रेणी के लिए निर्दिष्ट संख्या में सीटें आरक्षित रखी गई हैं–हालांकि, आरक्षण के प्रतिशत की गणना करते समय, उसे एक खुली श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में भर्ती किया गया माना जाएगा न कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में–इस तरह, प्रत्येक श्रेणी में सीटों की संख्या स्थिर रहती है और 50 प्रतिशत आरक्षण की ऊपरी सीमा का उल्लंघन नहीं होता है।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

अभिनिर्धारित किया 1. अक्सर, तकनीकी और चिकित्सा संस्थानों आदि में प्रवेश के उद्देश्य से आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में आरक्षित श्रेणी/श्रेणियों से संबंधित कुछ उम्मीदवार, अपनी योग्यता के आधार पर उच्च श्रेणी के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं और सामान्य प्रवेश परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर, सामान्य योग्यता सूची में रखे जाते हैं। आरक्षित श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के ऐसे वर्ग, जो अपनी योग्यता के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, उन्हें सामान्य योग्यता सूची में रखा जाता है, उन्हें मेधावी आरक्षित उम्मीदवार (एमआरसी) के रूप में वर्णित किया जाता है। एक एमआरसी जो सामान्य श्रेणी की सीट धारित करता है, को आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कोटे के विरूद्ध नहीं गिना जाता है, लेकिन इसे एक खुली प्रतिस्पर्धा वाले उम्मीदवार या सामान्य योग्यता वाले उम्मीदवार के रूप में माना जाता है। [पैरा 7] [177 डी–ई]

_इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ_ (1992) सप्ली. 3 एससीसी 217: [1992] 2 सप्ली एस. सी. आर. 454; _आर. के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य_ (1995) 2 एससीसी 745 : [1995] 2 एससीआर 35 – संदर्भित किया गया।

2. विचार के लिए दो प्रश्न उठते हैंः (i) क्या एम. आर. सी. आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित सीट का विकल्प चुन सकता है? यदि जवाब हाँ है; 50 वीं सीट का क्या होगा जो एम. आर. सी. (यानी 50 वीं सामान्य योग्यता वाले उम्मीदवार) को आवंटित की जानी थी, अगर उन्होंने आरक्षित श्रेणी, जिससे वे संबंधित हैं, के लिए आशयित सीट का विकल्प चुनाव करता ? हस्तगत प्रकरण में यह मामला नहीं है कि सामान्य श्रेणी की सीट चुनने पर एमआरसी की सामान्य श्रेणी का स्थान लेने वाले उम्मीदवार की आरक्षित श्रेणी के किसी अन्य उम्मीदवार को समायोजित किया जाएगा। चिकित्सा प्रवेश में सामान्य योग्यता वाले अंतिम उम्मीदवार की तुलना में एम. आर. सी. के अधिक अंक होते हैं, इसलिए उसे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में माना जाएगा। उनके लिए आरक्षित श्रेणी में केवल कॉलेज की सीटों का विकल्प खुला है। इस तरह, प्रत्येक श्रेणी में सीटों की संख्या स्थिर रहती है और 50 प्रतिशत आरक्षण की ऊपरी सीमा का उल्लंघन नहीं होता है। [पैरा 7,12 और 13] [178–एफ; 187 ई, जी]

श्री रितेश आर. साह बनाम डॉ. वाई. एल. यमुल (1996) 3 एस. सी. सी. 253: [1996] 2 एस. सी. आर. 695–निर्भर

भारत संघ बनाम रमेश राम और अन्य। (2010) 7 एससीसी 234: [2010] 6 एस. सी. आर. 698; *बिहार राज्य बनाम एम. नीति चंद्र* (1996) 6 एससीसी 36: [1996] 5 सप्ली. एससीआर 69 अप्रयोज्य अभिनिर्धारित किया गया।

आलोक कुमार पंडित बनाम असम राज्य और अन्य। 2012 (13) एससीसी 516: [2012] 11 एस. सी. आर. 87; *समता आंदोलन समिति बनाम भारत संघ* (2014) 14 एससीसी 745: [2013] 11 एस. सी. आर. 1124; *डॉ. अनिल कुमार बनाम बिहार राज्य* (1998) 9 एससीसी 405 संदर्भित किया गया।

3. एक एम. आर. सी. आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित सीट का विकल्प चुन सकता है, ताकि उसे कम मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के विरूद्ध नुकसान न हो। इस तरह के एम. आर. सी. को केवल सामान्य श्रेणी का हिस्सा माना जाएगा। एम. आर. सी. की पसंद के कारण, एक आरक्षित श्रेणी की सीट धारित कर लिया गया है, और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध विकल्पों में से एक सीट खाली है। नतीजतन, एक कम रैंक वाले आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार, जिसके पास आरक्षित श्रेणी के बीच विकल्प थे, प्रभावित हो जाता है क्योंकि उसे अब कोई विकल्प नहीं मिलता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए अर्थात प्रभावित उम्मीदवार को एक उपचार प्रदान करने के लिए, 50 वीं सीट जो एक एम. आर. सी. को आवंटित की जाती, अगर उसने आरक्षित श्रेणी, जिससे वह आता है, के लिए चिन्हित सीट को नहीं चुना होता, अब उस आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार से भरी जाएगी जो एम. आर. सी. की विकल्प चुनाव के नतीजतन निवारित होता। इससे आरक्षण का प्रतिशत 50 प्रतिशत अप्रभावित रह जाता है। किसी भी परिस्थिति में 50 % आरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। [पैरा 14,15] [188–ई–जी]

<u>प्रकरण विधि संदर्भ</u>

[1992] 2 पूरक। एससीआर 454	संदर्भित किया गया है	पैरा 7
[1995] 2 एससीआर 35	संदर्भित किया गया है	पैरा 7
[1996] 2 एससीआर 695	भरोसा किया गया	पैरा 8
[2010] 6 एससीआर 698	अप्रयोज्य रखा गया	पैरा 9
[2012] 11 एससीआर 87	संदर्भित किया गया	पैरा 9
[2013] 11 एससीआर 1124	संदर्भित किया गया	पैरा 10
[1996] 5 पूरक। एससीआर 696	लागू नहीं होने वाला	पैरा 11
(1998) 9 एस. सी. सी. 405	संदर्भित किया गया	पैरा 11

पटना उच्च न्यायालय के सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 16873/2016 में एम. जे. सी. सं. 3680/2016 में निर्णय और आदेश 28.10.2016 दिनांक से उद्भूत्

सी. ए. सं. 158/ 2018 के साथ

शेखर नफाडे, सुब्रमण्यम प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता। अभय कुमार, सौरभ मिश्रा, हिमांशु, बिलाल खान, अभिनव मुखर्जी, श्रीमती बिहू शर्मा, सिद्धार्थ गर्ग, सुश्री पूर्णिमा कृष्णा, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता। सुश्री आभा आर. शर्मा, सुश्री सुजीता श्रीवास्तव, डी. एस. परमार, गौरव शर्मा, सुश्री अमनदीप कौर, प्रतीक, धवल, सुश्री मानसी, प्रशांत भूषण, गोविंद जी, रणबीर यादव, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था
मोहन एम. शांतनागौदर, जे. 1. अनुमति प्रदान की गई।

2. पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी. डब्ल्यू. जे. सी. No.16673 के एम. जे. सी. संख्या 3680/16 और संबंधित मामलों में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2016 पर इन अपीलों में सवाल उठाए गए हैं। उक्त निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने राज्य सरकार के दिनांक 14.11.1995 के एक परिपत्र के अनुसार एमबीबीएस/बीडीएस और पीजी पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया की वैधता या अन्यथा के मामले में पटना उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिए गए संदर्भ का जवाब दिया है।

3. अग्रसर होने के पूर्व प्रासंगिक परिपत्र यानी परिपत्र संख्या 226 (24) दिनांकित 14.11.1995 को नोट करना उचित होगा, जो निम्नानुसार हैः

"इस नई प्रणाली,जो तत्काल प्रभाव से लागू है, के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार, जो योग्यता के आधार पर सामान्य श्रेणी की 50 प्रतिशत सीटों के खिलाफ प्रवेश पाने के हकदार हैं, उन्हें अपनी संबंधित आरक्षित सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है, उन्हें (संबंधित) सूची में उनकी योग्यता के आधार पर कॉलेज और उनकी पसंद के विषय में प्रवेश की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस प्रकार, एक सूची से दूसरी सूची में स्थानांतरण के बाद, उस (संबंधित) आरक्षित वर्ग के वे उम्मीदवार, जिन्हें उस (संबंधित) वर्ग के लिए तैयार की गई अलग सूची में सबसे नीचे स्थान मिला है, स्वाभाविक रूप से नीचे आ जाएंगे और उस (संबंधित) आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित प्रतिशत के अनुपात में उपलब्ध सीटों से बाहर आ सकते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए और किसी भी परिस्थिति में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को केवल उस सूची में स्थानांतरित करने के बाद आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित सीटों की संख्या पर प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए और ताकि सूची में सबसे नीचे के उम्मीदवारों को भी प्रवेश से वंचित न किया जा सके और ताकि योग्यता के आधार पर चुने गए आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सामान्य सीटों में समेकित होने से वंचित न किया जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए, यह प्रणाली लागू होगी कि उपरोक्त स्थानांतरण के बाद, अपने संबंधित आरक्षित वर्ग की सूची में सबसे नीचे के उम्मीदवारों को, हालांकि इस सूची की योग्यता सूची में सबसे नीचे होने के बावजूद, सामान्य श्रेणी के लिए उपलब्ध 50 प्रतिशत सीटों के खिलाफ अवशोषित किया जाएगा और उन्हें उस सूची में योग्यता के क्रम में पसंद के आधार पर सामान्य सीटों के लिए उपलब्ध कॉलेज और विषय आवंटित किए जाएंगे। इस प्रकार, वह सूची जो सामान्य श्रेणी के लिए 50% उपलब्ध सीटें के विरूद्ध तैयार की जायेगी। आरक्षित वर्ग की सूची से उपरोक्त पद्धति से स्थानांतरित किए गए उम्मीदवारों को केवल उस सूची में शामिल किया जाएगा और उन्हें प्रवेश की सुविधा भी दी जाएगी।

उपरोक्त परिपत्र के अनुसार, एक मेधावी आरक्षित उम्मीदवार सामान्य प्रावीण्य सूचि के अभ्यर्थी के रूप में माना जाएगा और उसे सामान्य प्रवीण्य सूची में सीट आवंटित किया जाएगा; इसके अतिरिक्त

वह एमआरसी, उस आरक्षित श्रेणी जिससे वह संबंधित है, के लिए आरक्षित सीट का चुनाव कर सकता है ताकि अपनी पसंद के महाविद्यालय में प्रवेश पा सके; एेसा करने की स्थिति में सामान्य श्रेणी की सीट का विकल्प, जो एमआरसी द्वारा छोड़ दिया गया है, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए चली जाएगी।

4. अपीलार्थियों द्वारा पटना उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि जो सीट प्रवास/स्थानांतरण के कारण खाली रह गई थी, को सामान्य श्रेणी सूची के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाना चाहिए क्योंकि एम. आर. सी. यद्यपि खुद को आरक्षित श्रेणी में स्थानांतरित कर लेता है। इसके विपरीत, प्रकरण लड़ने वाले उत्तरदाताओं द्वारा यह तर्क दिया गया था कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एम. आर. सी. एक सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार बना रहता है, इस तरह की सीट को आरक्षित श्रेणी सूची में सबसे नीचे के निष्कासित उम्मीदवारों द्वारा भरा जाना चाहिए। विवादित फैसले से पटना उच्च न्यायालय ने संदर्भ का जवाब उत्तरदाताओं के पक्ष में निम्नानुसा दिया:-

" 15. उपरोक्त चर्चाओं और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रमेश राम (उपरोक्त) और रितेश आर. साह (उपरोक्त) के मामलों में जो निर्णय लिया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं:

(i) विभिन्न संस्थानों में चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अर्हता प्राप्त करने और विभिन्न सेवाओं में रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित एक सामान्य प्रतियोगी परीक्षा के बीच एक स्पष्ट अंतर है।

(ii) यह अंतर इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि चिकित्सा संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा के मामले में, सभी उम्मीदवारों को, एक विशेष पाठ्यक्रम में चिकित्सा संस्थानों में से किसी एक में प्रवेश प्राप्त करने के समान लाभ प्राप्त होते हैं, जबकि विभिन्न सेवाओं में रिक्तियों को भरने के लिए अपनाई गई सामान्य चयन प्रक्रिया के मामले में, विविधताएं होती हैं, जो सफल उम्मीदवारों को प्राप्त होती हैं, क्योंकि सेवाएँ वेतनमान, पदोन्नति के अवसरों आदि सहित सेवा की स्थिति और शर्तों के संदर्भ में भिन्न हो सकती हैं। एम. आर. सी. का संबंधित आरक्षित श्रेणी में प्रवास का परिणाम, इसलिए, विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में प्रवेश के मामले से विभिन्न पदों पर चयन की तुलना में अलग होगी।

(iii) चिकित्सा संस्थानों में प्रवेश के मामले में, एक एम. आर. सी. के पास अपनी पसंद के संस्थानों के आवंटन के उद्देश्य से, उस कॉलेज में प्रवेश लेने का विकल्प हो सकता है, जहां उसकी श्रेणी में एक सीट आरक्षित है। हालांकि एक आरक्षित सीट के विरूद्ध भर्ती किया गया है, आरक्षण के प्रतिशत की गणना के उद्देश्य से, उसे एक खुली श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में भर्ती किया गया माना जाएगा। वस्तुतः वह एम. आर. सी. बना रहता है। यह नहीं माना जा सकता कि उसने आरक्षण की उस श्रेणी, जिससे वह संबंधित है, के लिए आरक्षित सीट धारण किया है। नतीजतन, इस प्रवास से उस आरक्षित श्रेणी की सूची में सबसे नीचे के आरक्षित उम्मीदवार को बाहर नहीं किया जाएगा। जबकि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में उसका चयन बरकरार रहेगा, आरक्षित सीटों के विरूद्ध एमआरसी के प्रवास के कारण सीटों के आवंटन के उददेश्य से उसे शेष सीटों के विरूद्ध समायोजित किया जाना होगा।

(iv) विभिन्न सेवाओं में सामान्य प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के आधार पर पदों को भरने के मामले में, स्थिति पूरी तरह से अलग होगी, जब कोई एमआरसी अपनी पसंद की सेवा/पद प्राप्त करने के लिए आरक्षित श्रेणी, जिससे वह संबंधित है, में जाने का विकल्प चुनता है। ऐसे में संबंधित श्रेणी की सूची में सबसे नीचे रहने वाले उम्मीदवार को बाहर जाना होगा और सामान्य योग्यता सूची में स्थान खाली हो जाएगा, क्योंकि एमआरसी के स्थानांतरण को सामान्य योग्यता सूची से भरना होगा। अन्यथा, यदि खुली सीटों को आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से भरने की अनुमति दी जाती है, इसका परिणाम आरक्षण का लाभ 50 प्रतिशत से अधिक दिया जाना होगा, जो कि संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है।

16. संदर्भ का जवाब तदनुसार दिया जाता है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, संदर्भ का निर्णय करते समय पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने मामलों के दो समूहों के बीच अंतर किया है–क) एक सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से विभिन्न संस्थानों में चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने का मामला और (ख) सामान्य प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवाओं में रिक्तियों को भरने का मामला।

5. हस्तगत मामले में, हमारा सरोकार सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश और एम. आर. सी. के मामले में पालन हेतु प्रक्रिया और महाविद्यालय में सीट का आवंटन से है।

6. अपीलार्थियों की ओर से श्री शेखर नफाडे और सुब्रमण्यम प्रसाद वरिष्ठ अधिवक्त द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश में आरक्षण की सीमा किसी भी मामले में 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि एक एमआरसी आरक्षित श्रेणी में स्थानांतरित हो जाता है जब वह आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित सीट चुनता है। नतीजतन, एम. आर. सी. द्वारा छोड़ी गई सीट सामान्य श्रेणी की सीट होने के कारण अनिवार्य रूप से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरी जानी चाहिए।

उत्तरदाताओं के लिए, श्री प्रशांत भूषण, विद्वान वकील, ने पटना उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि एमआरसी आरक्षित श्रेणी में एक सीट चुनने के बाद भी सामान्य श्रेणी का हिस्सा बना हुआ है। उन्होंने तर्क दिया कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जो एमआरसी के चुनाव से प्रभावित हैं, उन्हें सामान्य श्रेणी में सीटों का विकल्प दिया जाना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार 50 प्रतिशत आरक्षण का उल्लंघन नहीं हुआ है।

7. अक्सर, तकनीकी और चिकित्सा संस्थानों आदि में प्रवेश के उद्देश्य के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में आरक्षित श्रेणी/श्रेणियों से संबंधित कुछ उम्मीदवार, अपनी योग्यता के आधार पर उच्च श्रेणी के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं और सामान्य प्रवेश परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर, सामान्य योग्यता सूची में रखे जाते हैं। आरक्षित श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के ऐसे वर्ग जो सामान्य योग्यता सूची में स्थान प्राप्त करने हेतु स्वयं के योग्यता से अहर्ता प्राप्त करते हैं, सुविधा की दृष्टि से, मेधावी आरक्षित उम्मीदवार (एम. आर. सी.) के रूप में वर्णित किए जाते हैं। अब यह सुस्थापित हो चुका है कि एक एमआरसी जो एक सामान्य श्रेणी की सीट धारित करता हैउसे आरक्षित कोटे के विरूद्ध नहीं गिना जाता है, लेकिन उसे एक खुली प्रतिस्पर्धा वाले उम्मीदवार या सामान्य योग्यता वाले उम्मीदवार के रूप में माना जाता है। इस न्यायालय ने इंदीरा साहनी बनाम भारत संघ, 1992 सप्लीमेंट (3) एस. सी. सी. 217 के मामले में ने इस प्रकार कहा हैः

" इस संबंध में यह याद रखना अच्छा है कि अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण, सांप्रदायिक आरक्षण की तरह काम नहीं करते हैं। यह संभव है कि अनुसूचित जाति से आने वाले कुछ सदस्य अपनी योग्यता से खुली प्रतिस्पर्धा में चयनित हो जाते हैं; उनकी गणना अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित कोटा के विरूद्ध नहीं की जाएगी; उन्हें खुली प्रतिस्पर्धा के प्रतिभागी के रूप में माना जाएगा " (जोर दिया गया)

सेवा संबंधी मामलों में भी यही सिद्धांत लागू किया जाता है। इंदीरा साहनी (उपरोक्त) के उपर्यवर्णित सिद्धांत का पालन मेडिकल कॉलेजों में सीटों पर प्रवेश के लिए किया जाता है, और आर.के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य (1995) 2 SCC 745 में भी इसका पालन किया गया था। हालांकि हमारे समक्ष मुद्दा और भी सूक्ष्म है कि क्या एमआरसी आरक्षित श्रेणी हेतु चिन्हित सीट का चुनाव कर सकता है ? यदि उत्तर हां है तब चूंकि एमआरसी विभिन्न् कॉलेजों में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हेतु चिन्हित सीट के विरूद्ध प्रवेश के विकल्प का चयन करता है, क्या आरक्षित श्रेणी के कम मेधावी उम्मीदवार, जो कि उक्त प्रक्रिया का प्रभावित है, को एमआरसी द्वारा छोड़े गए कॉलेज में प्रवेश दिया जाना चाहिए?

इसे एक सरलीकृत उदाहरण के माध्यम से बेहतर समझा जा सकता है। यह मान लिया जाए कि एक सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से देश भर के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के १०० सीट उपलब्ध हैं। इनमें से ५० सीट सामान्य श्रेणी की हैं और शेष ५० आरक्षित श्रेणी की सीटें हैं। X, एक आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को प्रवेश परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक संख्या 50 दी जाती है। इस प्रकार वह आरक्षित श्रेणी के लिए कट–ऑफ से ठीक ऊपर है, और उसने एक खुली

योग्यता रैंक प्राप्त की है। इसलिए, एक्स एक एमआरसी है; हालाँकि, एक्स सामान्य श्रेणी में होने के कारण अपनी परामर्श के समय सामान्य श्रेणी के लिए उपलब्ध सीट को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वह अपनी पसंद के किसी अन्य कॉलेज में प्रवेश चाहता है जो संयोग से आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है और उसी में एक सीट आरक्षित श्रेणी में उपलब्ध है। परिणामस्वरूप, X आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कॉलेज में उपलब्ध एक सीट का चयन आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों में अपनी योग्यता के आधार पर करता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, 50 उम्मीदवारों की सामान्य श्रेणी की सूची में से एक सीट खाली रहती है। इस संदर्भ में विचार के लिए दो प्रश्न उठते हैं:

i. क्या एक्स–एम. आर. सी. आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित सीट का विकल्प चुन सकता है?

ii. यदि उत्तर हाँ है; 50 वीं सीट का क्या होता है, जो एक्स–एमआरसी (यानी 50 वीं सामान्य योग्यता वाले उम्मीदवार) को आवंटित की जानी थी, यदि वह आरक्षित श्रेणी,जिससे वह संबंधित है, के लिए आरक्षित सीट का चुनाव करता है ?

8. इस अदालत ने बार–बार, इंदीरा साहनी (उपरोक्त) के मामले में फैसले सहित, यह निष्कर्ष निकाला है कि कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इसलिए, जब कोई एम. आर. सी. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीट का विकल्प चुनता है, तब भी आरक्षण को 50 प्रतिशत तक बनाए रखने के लिए सावधानी बरतनी होगी। इसी तरह से अधिकारियों के लिए यह भी खुला नहीं है कि वे किसी एम. आर. सी. को उसकी योग्यता के आधार पर उसकी वरीयता के कॉलेज में सीट से वंचित कर दें, यदि ऐसी सीट सुसंगत समय पर उपलब्ध है और वह उस आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है, जिससे एमआरसी संबंधित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहाँ एक एम. आर. सी. सामान्य योग्यता में अपनी योग्यता के आधार पर अपनी पसंद के संस्थान में सीट नहीं प्राप्त कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, वह आरक्षित श्रेणी के लिए आरक्षित कॉलेज में सीट प्राप्त करने के उद्देश्य मात्र से काल्पनिक रूप से आरक्षित श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार के रूप में माने जाने का चुनाव कर सकता है। यदि ऐसे एम. आर. सी. को आरक्षित योग्यता सूची में रखा जाता है तब अपनी श्रेणी में, वह उच्च स्थान पर होगा और उसे संस्थान या पाठ्यक्रम का बेहतर विकल्प मिल सकता है। किसी एम. आर. सी. को आरक्षित उम्मीदवार के रूप में माने जाने की अनुमति नहीं देकर उसे नुकसानदेह स्थिति में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि इससे उसे प्रतियोगी परीक्षा में अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए नुकसान उठाना पड़ेगा।

श्री रितेश आर. साह बनाम डॉ. वाई. एल. यमुल, (1996) 3 एस. सी. सी. 253, के मामले में इस न्यायालय को उपरोक्त दोनों प्रश्नों से निपटने का अवसर मिला है। इस अदालत ने अभिनिर्धारित किया है कि एक एमआरसी जिसने आरक्षित श्रेणी के लिए आरक्षित कॉलेज में एक सीट का विकल्प चुना है, वह आरक्षित श्रेणी में स्थानांतरित/प्रवासित नहीं होगा, बल्कि उसे केवल सामान्य श्रेणी के हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए। हालांकि, कॉलेज में सीट का बेहतर विकल्प प्राप्त करने के उद्देश्य मात्र से, वह आरक्षित श्रेणी के लिए कॉलेज में आरक्षित सीट लेने का विकल्प चुन सकता है। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

17... इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरणों में प्रतिपादित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष अप्रतिरोधी है कि एक विद्यार्थी, जो योग्यता के आधार पर प्रवेश हेतु पात्र है आरक्षित श्रेणी से संबंधित होने के बाद भी आरक्षित श्रेणी हेतु आरक्षित सीट के विरूद्ध प्रवेशित नहीं माना जा सकता है। लेकिन साथ ही प्रावधान इस तरह से किए जाने चाहिए कि यह ऐसे उम्मीदवार के लिए नुकसानदेह न हो आैर उसे आरक्षित श्रेणी के अन्य कम मेधावी उम्मीदवारों से अधिक नुकसानदेह स्थिति में नहीं रखा जाए। उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है यदि आरक्षित श्रेणी में से एेसे उम्मीदवार जो अन्यथा खुली योग्यता सूची में आते हों, का पता लगाने के बाद विभिन्न कॉलेजों, जिन्हें आरक्षित श्रेणी के लिए आरक्षित रखा गया है, में प्रवेश के लिए उनका विकल्प पूछा जाए और उसके बाद कम मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के मामलों पर विचार किया जाना चाहिए और उन्हें जिन भी कॉलेजों में सीटें उपलब्ध होंगी, उनमें सीटें आवंटित की जाएंगी। दूसरे शब्दों में, जबकि अपनी योग्यता के आधार पर प्रवेश के हकदार एक आरक्षित श्रेणी के

उम्मीदवार के पास उन कॉलेजों में प्रवेश लेने का विकल्प होगा जहां निर्दिष्ट संख्या में सीटें रखी गई हैं परन्तु आरक्षण के प्रतिशत की गणना करते समय उसे आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में नहीं, बल्कि एक खुली श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में भर्ती किया गया माना जाएगा।

वर्ष 1996 से ही, यह विधि सुस्थापित है कि प्रावधान इस तरह से किए जाने चाहिए कि वे एमआरसी के लिए नुकसानदेह नहीं होंगे आैर उसे कम योग्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की तुलना में अधिक नुकसानदेह स्थिति में नहीं रखा जाएगा। उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है यदि आरक्षित श्रेणी में से एेसे उम्मीदवार जो अन्यथा खुली योग्यता सूची में आते हों, का पता लगाने के बाद विभिन्न कॉलेजों, जिन्हें आरक्षित श्रेणी के लिए आरक्षित रखा गया है, में प्रवेश के लिए उनका विकल्प पूछा जाए और उसके बाद कम मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के मामलों पर विचार किया जाए।

दूसरे शब्दों में, आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर प्रवेश का हकदार है, और उसके पास उन कॉलेजों में प्रवेश लेने का विकल्प होगा जहां आरक्षित श्रेणी के लिए निर्दिष्ट संख्या में सीटें आरक्षित रखी गई हैं। हालांकि, आरक्षण के प्रतिशत की गणना करते समय, उसे एक खुली श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में भर्ती किया गया माना जाएगा और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में नहीं।

9. श्री शेखर नाफडे और श्री सुब्रमण्यम प्रसाद, अपीलार्थियों की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत संघ बनाम रमेश राम व अन्य (2010) 7 एस. सी. सी. 234 के मामले में संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए तर्क दिया है कि एम. आर. सी. द्वारा आरक्षित श्रेणी में से एक सीट के विकल्प चुनने के कारण सामान्य श्रेणी में से छोड़ी
गई एक सीट सामान्य योग्यता वाले उम्मीदवार द्वारा भरा जाना चाहिए न कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा। उन्होंने उक्त निर्णय के पैराग्राफ 39 पर भरोसा किया, जो इस प्रकार हैः

" 39. एक महत्वपूर्ण पहलू जिस पर चर्चा की जानी चाहिए, वह यह है कि इंदीरा साहनी बनाम भारत संघ, (1992) पूरक 3 एस. सी. सी. 217 में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार कुल आरक्षण सभी उपलब्ध रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि एम. आर. सी. उम्मीदवारों को उनकी उच्च प्राथमिकताओं के सापेक्ष आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों के विरूद्ध समायोजित किया जाता है और उनके द्वारा सामन्य श्रेणी में रिक्त की गई सीटों को आगे आरक्षित श्रेणी के अन्य उम्मीदवारों को आवंटित किया जाता है, कुल आरक्षण संभवतः सभी उपलब्ध पदों के 50 प्रतिशत से अधिक हो सकता है।"

रमेश राम (उपर्युक्त) मामले में संविधान पीठ के फैसले पर टिप्पणी करने से पहले, यह फायदेमंद होगा यदि उसमें निर्दिष्ट तथ्यों और संदर्भों पर गौर किया जाए।
उक्त मामले में, 2005 से 2007 तक सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए सिविल सेवा परीक्षा नियमों के नियम 16 के उप–नियम (2) से (5) की संवैधानिक वैधता, समाहित था। नियम 16 (2) इस प्रकार थाः

" 16 (2) सेवा आवंटन करते समय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार जिनकी सिफारिश अनारक्षित रिक्तियों के लिए की गई है सरकार द्वारा आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित किए जा सकते हैं यदि इस प्रक्रिया से उन्हें अपनी पसंद के क्रम में उच्च पसंद की सेवा मिलती है।

इस न्यायालय ने अभिलेख पर प्रतिद्वंद्वी दलीलों का मूल्यांकन करने के बाद यह निर्णय दिया कि आरक्षित श्रेणी की सीट का चयन करने वाले एमआरसी को आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार माना जाना चाहिए। एक विकल्प के रूप में माना जाना चाहिए, जिसका अर्थ यह है कि उन्हें सामान्य श्रेणी से आरक्षित श्रेणी, जिससे वह संबंधित है, में स्थानांतरित/प्रवासित किया गया हमेशा के लिए मानना चाहिए, और एम. आर. सी. द्वारा छोड़ी गई सामान्य श्रेणी की खाली सीट को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा भरा जाना चाहिए। यह निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंचाः

" 50. हम अपने उत्तरों का सारांश देते हैं –

i) एम. आर. सी. उम्मीदवार जो नियम 16 (2) का लाभ उठाते हैं और आरक्षित श्रेणी में समायोजित होते हैं, उन्हें कुल आरक्षण कोटा की गणना के उद्देश्य से आरक्षित पूल के हिस्से के रूप में गिना जाना चाहिए। एम. आर. सी. उम्मीदवारों द्वारा सामान्य पूल में खाली की गई सीटे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को पेशकश की जाएगी।

ii) नियम 16 (2) के क्रियान्वयन द्वारा, एक एम. आर. सी. उम्मीदवार की आरक्षित स्थिति को संरक्षित किया जाता है ताकि उसका बेहतर प्रदर्शन उसे अधिक पसंदीदा सेवा में आवंटित होने के अवसर से वंचित न करे।

iii) संशोधित नियम 16 (2) उम्मीदवारों द्वारा दी गई प्राथमिक्ता के आधार पर विभिन्न् सिविल सेवा के आवंटन के उद्देश्य से केवल उम्मीदवारों के दो वर्गों के बीच अंतर योग्यता को मान्यता देने का प्रयास करता है अर्थात क) मेधावी आरक्षित श्रेणी उम्मीदवार ख) अपेक्षाकृत निम्न पदीय आरक्षित श्रेणी उम्मीदवार।

iv) "ओ. बी. सी., एस. सी./एस. टी. श्रेणियों से संबंधित" आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार, जिनका चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है और जिन्हें सामान्य/अनारक्षित श्रेणी की सूची में रखा जाता है,सेवाओं के आवंटन के समय संबंधित आरक्षित श्रेणी में जाने का विकल्प चुन सकते हैं। नियम 16 (2) द्वारा परिकल्पित ऐसा पलायन संविधान के नियम 16 (1) या अनुच्छेद 14,16 (4) और 335 के साथ असंगत नहीं है।

रमेश राम (उपरोक्त) में यह न्यायालय रितेश आर. साह (उपरोक्त) के आंतरिक रूप से बिल्कुल विपरीत निर्णय पर आया है। वास्तव में, कुल आरक्षण उपलब्ध रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। जबकि हम निस्संदेह रमेश राम (उपरोक्त) से बंधे हैं, उसी निर्णय ने उचित ठहराया कि यह रितेश आर. साह (उपरोक्त) से इतना अलग क्यों है। इसने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि स्नातकोत्तर उम्मीदवार के चयन एवं प्रवेश जैसा कि रितेश आर. साह (उपरोक्त) में तथा यूपीएससी उम्मीदवार के चयन एवं नियुक्ति जैसा कि रमेश राम (उपरोक्त) के मध्य स्पष्ट अंतर है। जबकि स्नातकोत्तर प्रवेश में परिणाम सभी उम्मीदवारों को समान लाभ प्रदान करेंगे चाहे कोई भी रैंक हो (यानी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश), यूपीएससी चयन के परिणाम अलग–अलग रैंक धारकों के लिए अलग–अलग लाभ देते हैं क्योंकि सेवाओं का आवंटन रैंक पर आधारित होता है। इस न्यायालय ने इस प्रकार यह निर्णय दिया कि यूपीएससी चयन के मामले में, आरक्षित श्रेणी की सीट धारित करने के लिए एमआरसी द्वारा खाली की गई सामान्य श्रेणी की सीट को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाना चाहिए। इसने यह भी माना कि इस तरह के एम. आर. सी. को आरक्षित श्रेणी में गिना जाना चाहिए (और सामान्य श्रेणी में नहीं, जैसा कि रितेश R.Sah (उपरोक्त दिया गया) में किया गया) ताकि आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत से अधिक होने से रोका जा सके । हस्तगत मामले और उपरोक्त मुद्दे पर भेद करने हेतु रमेश राम (उपरोक्त) के अनुच्छेद 31,32,66 और 67 पर गौर करना फायदेमंद होगा और वे इस प्रकार पढ़ते हैं:

" 31. उत्तरदाताओं ने भी रितेश आर. साह बनाम डॉ वाई एल यमुल (1996) 3 SCC 253 में इस न्यायालय के निर्णय पर मजबूत निर्भरता रखी है। उस प्रकरण में प्रश्न यह था कि क्या आरक्षित श्रेणी का एक उम्मीदवार, जो खुली प्रतियोगिता में अपनी योग्यता के आधार पर प्रवेश हेतु चयन की पात्रता रखता है, को आरक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित कोटा के विरूद्ध गिना जाना चाहिए अथवा सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार माना जाना चाहिए। न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जब कोई उम्मीदवार शैक्षणिक संस्थान में अपनी योग्यता के आधार पर प्रवेश पाता है तब इस तरह के प्रेवश को अनुसूचित जाति अथवा किसी अन्य आरक्षित श्रेणी हेतु आरक्षित कोटा के विरूद्ध नहीं माना जाता है। हालाँकि, यह ध्यान रखना उचित है कि यह निर्णय मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के संदर्भ में दिया गया था..."

" 32. <u>प्रेवश परीक्षा के माध्यम से चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश हेतु अर्हता प्राप्त करने तथा यूपीएससी परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त करने के बीच एक स्पष्ट अंतर है क्योंकि बाद की परीक्षा विभिन्न सिविल सेवाओं में रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित की जाती है। पहले मामले में, सभी सफल उम्मीदवारों को एक शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने का समान लाभ मिलता है। हालांकि, बाद के मामले में सफल</u>

उम्मीदवारों को मिलने वाले लाभों में भिन्नताएं हैं क्योंकि वे अपनी पसंद की सेवा प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा भी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अधिकांश उम्मीदवार प्राथमिकताओं के लिए पूछे जाने पर पहली तीन सेवाओं [यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई. ए. एस.), भारतीय विदेश सेवा (आई. एफ. एस.) और भारतीय पुलिस सेवा (आई. पी. एस.)] में से कम से कम एक का विकल्प चुनते हैं। अधिकांश उम्मीदवार पहले विकल्प के रूप में आई. ए. एस. पसंद करते हैं। इस संबंध में, एक आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार जो सामान्य सूची के हिस्से के रूप में अर्हता प्राप्त कर चुका है, उसे सामान्य श्रेणी की रिक्तियों के विरूद्ध निचली सेवा में नियुक्त कर वंचित नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से क्योंकि अगर उसने अपने आरक्षित श्रेणी के दर्जे का लाभ उठाया होता, तो उसे उच्च वरीयता की सेवा मिलती। इस तरह की विसंगति को रोकने के स्पष्ट इरादे के साथ, नियम 16 (2) में प्रावधान है कि एक एम. आर. सी. उम्मीदवार को सामान्य कोटा या संबंधित आरक्षित श्रेणी कोटा के बीच चयन करने की स्वतंत्रता है।"

" 66. अनुराग पटेल में निर्णय, रितेश आर. साह बनाम डॉ. वाई. एल. यमुल में पहले के निर्णय को संदर्भित करता है। हालाँकि, हम पहले ही रितेश आर. साह में निर्णय का भेद कर चुके हैं। वह निर्णय स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आरक्षण के संबंध में दिया गया था और इसे वर्तमान परिस्थितियों में आसानी से लागू नहीं किया जा सकता है जहां हम यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाआें पर विचार कर रहे हैं। सिविल सेवा अभ्यर्थियों का अंतिम उद्देश्य सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं के लिए अर्हता प्राप्त करनी होती है और प्रत्येक सेवा में आरक्षित वर्गों के लिए कोटा होता है, जिसका लाभ एमआरसी उम्मीदवारों द्वारा पसंदीदा सेवा के लिए लिया जाता है। जैसा कि पहले बताया गया है, किसी विशेष शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने वाले विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा अर्जित लाभ एक समान प्रकृति का होता है। परन्तु, यू. पी. एस. सी. परीक्षा में सफलतापूर्वक अहर्ता प्राप्त करने के लाभ की प्रकृति अलग–अलग होती है क्योंकि कुछ सेवाएं दूसरों की तुलना में अधिक प्रतिष्ठित होती हैं।

67. कैट का आदेश अनुराग पटेल बनाम यू.पी. लोक सेवा आयोग में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत पर निर्भर होने की हद तक वैध है। भले ही वह निर्णय रितेश आर. साह बनाम डॉ. टी. एल. यमुल में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भर था, बाद का प्रकरण वर्तमान मामले से मुद्दे के तथ्यों के आधार पर पृथक किया जा सकता है। लेकिन हम केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश को मंजूर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह यूपीएससी परीक्षाआें की अनूठी विशेषताओं पर ध्यान देने में विफल रहा है।" (जोर दिया गया)

अतः यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि संविधान पीठ दो प्रकार के चयनों के बीच अंतर करती है, यानी एक सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों में चयन, और यूपीएससी परीक्षा के माध्यम से सेवाओं में पदों के लिए चयन।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि संविधान पीठ ने वस्तुतः एक सामान्य प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का जहां तक संबंध है, रितेश आर. साह (उपरोक्त) को अप्रत्यक्ष रूप से अनुमोदित किया गया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रमेश राम (ऊपर) में निर्धारित सिद्धांत इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह मामला मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश से संबंधित है और जबकि रमेश राम (ऊपर) यू. पी. एस. सी. परीक्षा के माध्यम से सेवाओं के लिए पदों के चयन से संबंधित है –

यह न्यायालय ने, आलोक कुमार पंडित बनाम असम राज्य व अन्य 2012 (13) एस. सी. सी. 516 के मामले में दोहराया है कि रमेश राम (उपरोक्त) में निर्धारित उक्ति केवल यू. पी. एस. सी. में विभिन्न सेवाओं में प्रवेश के लिए लागू होती है।

10. रितेश आर. साह (सुप्रा) का बाद में समता आंदोलन समिति बनाम भारत संघ, (2014) 14 एस. सी. सी. 74 में अनुसरण किया गया, जिसमें इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

22. निःसंदेह, एेसा करते हुए, रमेश राम प्रकरण में न्यायालय का मत यह था कि एेसे मेधावी आरक्षित उम्मीदवार(एमआरसी) जो नियम १६(२) सिविल सेवाएं परीक्षा नियम (जो इस तरह के अंतर–हस्तांतरण को अनुमत करता है) का लाभ लेते हैं और अंततः आरक्षित श्रेणी में समायोजन किया जाते हैं, उन्हें कुल आरक्षण कोटा के गणना के उद्देश्य से आरक्षित श्रेणी का हिस्सा गिना जाना चाहिए। हालाँकि, यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यह प्रतिपादना तब लागू होती है जब राज्य के अधीन सेवा के लिए कोई नियुक्ति होती है और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामलों को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया। जहाँ तक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश का संबंध है, ऐसे एम. आर. सी. को सामान्य श्रेणी से संबंधित माना जाता रहा, जो दर्जा उन्होंने अपनी प्रारंभिक योग्यता के कारण प्राप्त किया था। न्यायालय ने नोट किया कि रितेश आर. साह बनाम डॉ वाई. एल. यमुल (1996) 3 एस. सी. सी. 253 में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया था।"

... ...

" 24. चूँकि हमारा सरोकार चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश से हैं,उपरोक्त निर्णय वर्तमान मामले पर पूरी तरह से लागू होता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि न तो 50 प्रतिशत आरक्षण की ऊपरी सीमा का उल्लंघन किया गया है और न ही याचिकाकर्ताओं के किसी भी अधिकार का उल्लंघन हुआ है या उत्तरदाता की कार्रवाई किसी भी तरह से उनके प्रति पूर्वाग्रही रहे हैं। इस प्रकार, हम वर्तमान याचिका में कोई सार नहीं पाते हैं, जो तदनुसार निरस्त किया जाता है। कोई शुल्क नहीं। " (जोर दिया गया)।

11. श्री नाफडे और श्री प्रसाद ने बिहार राज्य बनाम एम. नीथी चंद्र, (1996) 6 एस. सी. सी. 36, में इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ के निर्णय पर भी भरोसा किया है जिसमें इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 10. आइए हम ऐसी स्थिति को लें जिसमें किसी विशेष आरक्षित श्रेणी में सीटों की संख्या x है लेकिन उस श्रेणी के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार योग्य उम्मीदवार X + 5 हैं, जिनमें से सबसे अच्छों ने सामान्य उम्मीदवार के रूप में योग्यता के आधार पर अर्हता प्राप्त किया है। परिपत्र संख्या 20 द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार, पहला उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के साथ विकल्प प्राप्त करता है परन्तु सूची में पर्याप्त उच्च नहीं होने के कारण, उससे कम विकल्प मिलता है जो वह आरक्षित श्रेणी में प्राप्त कर सकता था जिसके लिए वह हकदार था। उसके बाद x संख्या की सीटें चार योग्य उम्मीदवारों से भरी जा सकती है जिन्हें सीटों की कमी के कारण प्रवेश से वंचित किया जा रहा था। एेसा करना सर्वोत्तम उम्मीदवार के लिए कठोर होगा साथ ही यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। दूसरी तरफ, यदि उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन किया जाता है, तो पहले x संख्या के उम्मीदवारों को योग्यता के अनुसार आरक्षित श्रेणी की सीटें मिलती हैं परन्तु शेष 5 को भी सामान्य उम्मीदवारों की खुली सीटों के विरूद्ध 'समायोजित' करना होगा। ये 5 वे होंगे जो सामान्य योग्यता मानदंड के अनुसार योग्य नहीं हैं और आवश्यक रूप से 5 सामान्य उम्मीदवारों को विस्थापित करेंगे जो योग्यता के आधार पर सीटों के हकदार होते।

... ...

" 12. किसी विशेष वर्ष में, ऐसे उम्मीदवारों की संख्या बहुत अधिक हो सकती है और इस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा विकसित विधि बहुत कठिनाइयाँ पैदा कर सकती है। उक्त विधि भी समानता के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होगी। इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा विकसित की गई विधि को रद्द करना होगा।
13. साथ ही, जैसा कि पूर्व में बताया गया है, सरकार की परिपत्र संख्या 20 के साथ सब कुछ सही नहीं है क्योंकि यह उन उम्मीदवारों के विरूद्ध कार्य करता है, जिनके लिए सुरक्षात्मक भेदभाव तैयार किया गया है। परिपत्र संख्या 20 का उद्देश्य आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को आरक्षण का पूरा लाभ देना है। हालाँकि,

उनके मध्म के मेधावी छात्रों को जिस हद तक पसंद के कॉलेज और विषय से वंचित किया जाता है, जिसे वे आरक्षण के नियम के तहत प्राप्त कर सकते हैं, परिपत्र को बनाए नहीं रखा जा सकता है। इसलिए, परिपत्र केवल तभी प्रभावी हो सकता है जब सामान्य उम्मीदवारों के साथ योग्यता के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाला आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार योग्यता–सह–विकल्प के आधार पर महाविद्यालय/संस्थान और विषय के आवंटन हेतु सामान्य उम्मीदवार के रूप में माने जाने के लिए सहमति देता है। "। (जोर दिया गया)

एम. नीति चंद्र (उपरोक्त) को उस हद तक जहां तक वह यह अभिनिर्धारित करता है कि एम. आर. सी. को सामान्य श्रेणी से सीट चुनने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, डॉ. अनिल कुमार बनाम बिहार राज्य, (1998) 9 एस. सी. सी. 405 के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने बरकरार रखा था। हालाँकि, यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि एम. नीति चंद्र (उपरोक्त) को इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं हो सकता है। एम. नीति चंद्र (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय का सरोकार बिहार सरकार, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा दिनांक 07–02–1992 को जारी एक पूरी तरह से भिन्न परिपत्र, अर्थात परिपत्र संख्या 11/के1–1022/91–के20 ("परिपत्र संख्या 20") जिसका विषय "व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/महिला के नामांकन (प्रवेश) के लिए आरक्षण का प्रावधान" था, से संबंधित था। उस परिपत्र को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि एमआरसी को आरक्षित श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों को चुनने की अनुमति नहीं थी। उस परिपत्र का अनुच्छेद 6 इस प्रकार हैः

" 6. चूंकि सीधी नियुक्ति में इस आशय का प्रावधान है कि आरक्षित वर्गों के उम्मीदवार, जिनका चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है, उन्हें आरक्षित सीटों के खिलाफ समायोजित नहीं किया जाएगा। इसी तरह यहाँ भी उसी व्यवस्था को बनाए रखते हुए व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए योग्यता के आधार पर चुने गए उम्मीदवारों को आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कोटे के खिलाफ समायोजित नहीं किया जाएगा।"

उच्च न्यायालय का फैसला, जिसे एम. नीति चंद्र (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय द्वारा खारिज किया गया, ने पीजी प्रवेश आयोजित करने का एक पूरी तरह से अलग तरीका तैयार किया था, जो वर्तमान मामले के बिल्कुल भी समान नहीं था। उक्त मामले में उच्च न्यायालय ने पहले आरक्षित श्रेणी के पदों को भरने और आरक्षित श्रेणी के किसी भी उम्मीदवार, जिसे सीट आवंटित नहीं हुई को, सामान्य श्रेणी में समायोजित करने की व्यवस्था दी थी। इस न्यायालय ने एम. नीति चंद्र (उपरोक्त) मामले में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई सीटों के आवंटन की विधि का सारांश इस प्रकार दिया,

" विसंगतियों को दूर करने के लिए, उच्च न्यायालय ने सीटों के आवंटन की एक विधि तैयार की जिसके द्वारा आरक्षित सीटों की पेशकश पहले (यानी सामान्य सीटों को भरने से पहले) आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर की जाती है, और सभी आरक्षित सीटों को इस तरह से भरने के बाद, आरक्षित श्रेणी के अन्य सभी योग्य उम्मीदवारों को सामान्य योग्यता उम्मीदवारों के साथ सामान्य श्रेणी में खुली सीटों के खिलाफ "समायोजित" किया जाता है और योग्यता सह–पसंद के आधार पर सीटों की पेशकश की जाती है (निर्णय का पैरा 11 देखें)।

12. हस्तगत मामले में, यह मामला नहीं है कि सामान्य श्रेणी से सीट चयन करते हुए एमआरसी के रूप में सामान्य श्रेणी में आने वाले उम्मीदवार से भिन्न, आरक्षित श्रेणी का कोई अन्य उम्मीदवार समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा यह मुद्दा वर्तमान मामले में चुनौती के अधीन नहीं है, क्योंकि दोनों पक्ष आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित सीट चुनने के लिए एमआरसी के अधिकार का विरोध नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर, श्री नाफडे और श्री प्रसाद द्वारा यह निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया गया है कि एक एमआरसी को आरक्षित श्रेणी/श्रेणियों के लिए निर्धारित सीट चुनने का अधिकार है। हालांकि, उन्हें केवल इस बात की चिंता है कि कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।ऊपर बताए गए मामलों से पता चलता है कि 50 प्रतिशत आरक्षण नियम का किसी भी परिस्थिति में उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि ऊपर उल्लेख

किया गया है, चिकित्सा प्रवेश में अंतिम सामान्य योग्यता वाले उम्मीदवार की तुलना में एक एम. आर. सी. के अधिक अंक होते हैं, इसलिए उसे सामान्य श्रेणी के रूप में माना जाएगा। कॉलेज में आरक्षित श्रेणी की सीटों का विकल्प ही उसके पास खुली हुई है। इस तरह, प्रत्येक श्रेणी में सीटों की संख्या स्थिर रहती है और 50 प्रतिशत आरक्षण की ऊपरी सीमा का उल्लंघन नहीं होता है।

13. रितेश आर. साह (उपरोक्त) से यह स्पष्ट है कि स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थानों में प्रवेश के मामले में, एक एमआरसी जो, आरक्षित श्रेणी के लिए रखी गई सीटों वाले कॉलेज में प्रवेश के विकल्प का लाभ उठाने का चुनाव करता है, एक खुली श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में भर्ती किया गया माना जाता है। वह खुली श्रेणी के उम्मीदवार बने हुए है। भले ही कोई एमआरसी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित सीट का विकल्प चुनता हो, आरक्षित श्रेणी में कोई स्थानांतरण नहीं होता है। आरक्षित श्रेणी में सबसे कम–रैंकिंग पर अर्हता प्राप्त करने वाले एसे उम्मीदवार के पास,एमआरसी की पसंद के कारण, आरक्षित श्रेणी में कॉलेजों/सीटों का विकल्प नहीं रहता, उसे एमआरसी द्वारा छोड़ी गई सामान्य श्रेणी में उपलब्ध कॉलेज सीटों के विकल्पों के साथ समायोजित किया जा सकता है। हालांकि इस तरह के आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार, इस तरह के विकल्प को छोड़कर, आरक्षित श्रेणी में बने रहते हैं। इस प्रकार, एम. आर. सी. को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में मानने से, आरक्षित सीटों की संख्या समान रहती है, और आरक्षण 50 % से अधिक नहीं होता है। यह समानता के सिद्धांतों के अनुरूप भी है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा लिए गए निष्कर्षों से असहमत होने का कोई कारण नहीं पा सके।

14. ऊपर किए गए मामलों के चर्चा के आलोक में, दोनों प्रश्नों का उत्तर निम्नानुसार दिया जाता हैः

i) ए. एम. आर. सी. आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित सीट का विकल्प चुन सकता है, ताकि उसे कम मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के विरूद्ध नुकसान न हो। ऐसे एम. आर. सी. को केवल सामान्य श्रेणी के हिस्से के रूप में माना जाएगा।

ii) एम. आर. सी. की पसंद के कारण, एक आरक्षित श्रेणी की सीट है भर जाती है और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध विकल्पों में से एक सीट खाली रह जाती है। नतीजतन, एक कम रैंक वाला आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार, जिसके पास आरक्षित श्रेणी के बीच विकल्प थे, प्रभावित होता है क्योंकि उसे अब कोई विकल्प नहीं मिलता है।

इस स्थिति को सुधारने के लिए, यानी प्रभावित उम्मीदवार को एक उपचार प्रदान करने के लिए, 50 वीं सीट जो एक्स–एमआरसी को आवंटित की जाती, अगर उसने आरक्षित श्रेणी, जिससे वह संबंधित है, के लिए एक सीट का विकल्प नहीं चुना होता, अब आरक्षित श्रेणी की सूची में उस उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा जो एम. आर. सी. की पसंद के कारण प्रभावित होता है। इससे आरक्षण का प्रतिशत 50 प्रतिशत अप्रभावित रह जाता है।

15. हम दोहराते हैं कि किसी भी परिस्थिति में 50 प्रतिशत आरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए।

16. उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे के साथ–साथ मामले के केस लॉ पर भी संक्षिप्त रूप से विचार किया है। इसने सही माना है कि रितेश आर. साह (ऊपर) चिकित्सा संस्थानों में प्रवेश को नियंत्रित करते हैं। हम हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

17. तदनुसार याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।